# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 02.08.2024 | सुनील, अनिल पिसरान कान्ताप्रसाद<br>बनाम<br>जगदीश कुमार माथुर व अन्य<br>किस्म मुकदमा : नामान्तरकरण अपील<br>मु0नं0 11/2007<br><br>अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित नहीं हुआ। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संशोधन अन्तर्गत आर्डर 6 रूल 17 व धारा 151 सीपीसी पर उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि विचाराधीन अपील में काफी समय से अपीलान्ट उपस्थित नहीं आ रहे है। अपील बहस में आने पर पत्रावली देखने पर जानकारी में आया कि अपीलान्ट्स सुनील, अनिल दोनो कान्ति पुत्री दुर्गाप्रसाद के पुत्र है, किन्तु टाइपिस्ट की गलती से अपील, प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी व वकालतनामा में सुनील, अनिल पिसरान कान्ताप्रसाद दर्ज हो गया तथा शपथ पत्रों में भी सुनील पुत्र कान्ताप्रसाद अंकित हो गया। अतः जहां–जहां भी सुनील, अनिल पिसरान कान्ताप्रसाद अंकित हुआ है। वहां–वहां सुनील, अनिल पिसरान पिसरान कान्ति संशोधन की इजाजत दिया जाना जरूरी है तथा शपथ पत्र में जहां–जहां सुनील पुत्र कान्ताप्रसाद अंकित हुआ है। वहां सुनील पुत्र कान्ति संशोधन की इजाजत दिया जाना जरूरी है। उक्त संशोधन से अपील के नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड रहा है। उक्त गलती जानबूझकर नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्तानुसार संशोधन की इजाजत देने का अनुरोध किया गया।<br>राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि विचाराधीन नामा. अपील संख्या 11/2007 उनवानी सुनील, अनिल पि0 कान्ताप्रसाद जाति (माथुर), कायस्थ हाल निवासी 22/39/1 स्वर्ण पथ मानसरोवर जयपुर बनाम जगदीश कुमार माथुर पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति कायस्थ निवासी 13 ए, नटराज नगर, इमली वाला फाटक, टोंक रोड जयपुर व अन्य वर्ष 2007 से लम्बित चल रही है एवं अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा पत्रावली में बार–बार बहस हेतु अवसर चाहा गया है एवं इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 6 रूल 17 व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया है। जो स्वीकार किये जाने के योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 6 रूल 17 व धारा 151 सीपीसी खारिज फरमाया जाकर अपील सारहीन होने से अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।<br>उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील वर्ष 2007 से न्यायालय में लम्बित होने एवं पत्रावली काफी समय से बहस में नियत होने के उपरान्त भी अधिवक्ता अपीलान्ट्स को बार–बार बहस हेतु अवसर चाहा जाकर अपील को लम्बित रखा गया है एवं अन्तिम बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 6 रूल 17 व धारा 151 सीपीसी संशोधन हेतु 13 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार्य योग्य नहीं है।<br>उपरोक्त विवचेन के आधार पर अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 6 रूल 17 व धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। साथ ही अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत मूल अपील प्रार्थना पत्र भी सारहीन होने से खारिज की जाती है। मूल रिकार्ड एवं निर्णय की प्रमाणित प्रति सम्बन्धित को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार को जावे। निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।<br><br>( सुमित्रा पारीक )<br>अति. जिला कलक्टर ,दौसा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:32:32 IST
Reason: SelfAttested